

न्यायालय सिविल जज (जू० डि०)/एफ.टी.सी. कोर्ट सं.-०१, मुजफ्फरनगर।
(for trying cases of crime against women)

दिनांक: 09.05.2026

पुकार पर पत्रावली पेश हुई।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को अनेकों बार समन/नोटिस आदि प्रेषित किये जाने के बावजूद भी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करायी जा सकी। प्रस्तुत मामला समन मामला है, जो परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किया गया है। प्रस्तुत मामले में कथित अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है तथा प्रस्तुत वाद को आगे चलाये जाने पर भी कोई न्यायसंगत समाधान की उम्मीद नहीं है। अतः उपरोक्त वाद की कार्यवाही धारा 258 दं.प्र.सं. के तहत रोके जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त वाद की कार्यवाही धारा 258 दं.प्र.सं. के तहत रोकी जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शैफाली यादव)

सिविल जज (जू० डि०)/
एफ०टी०सी०-१, (C.A.W.) मुजफ्फरनगर
J.O. Code- UP03638